कौशल सैटेलाइट केंद्र
प्रौद्योगिकी और महिलाओं के लिए उपयोगिता कार्यक्रम विकास (टीडीयूपीडब्ल्यू)

वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिए दिशा निर्देश

भारत सरकार

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग

टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग

नई दिल्ली- 110016

दूरभाषा: 91-11-26520887/26590277, फैक्स: 91-11.26520887

ई-मेल: ashwani@nic.in ; priya@nic.in

सामान्य सूचना

1. प्रस्तावना

लैंगिक समानता समस्त समाज के लिए महत्वपूर्ण है। यदि उचित अवसर तथा प्रोत्साहन मिले, तो महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी होने की क्षमता रखती हैं। तथापि, महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है ताकि वे आत्मविश्वास के साथ दुनिया का सामना करने में सशक्त हो सकें। सशक्तिकरण जागरूकता से शुरू तथा तदनुसार सक्षमता निर्माण के माध्यम से आरंभ होती है।

देशों की ग्लोबल जैंडर गैप इंडैक्स की सूची 2017 में, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी तथा अवसर के संदर्भ में भारत का 139वां रैंक है। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण वहनीय विकास, असहाय-समर्थक संवृद्धि के लिए पूर्व-अपेक्षा है तथा यह अधिकारों और न्यायसंगत सोसाइटियों के बारे में है। मैक्किन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक कार्यस्थलों में लैंगिक अंतरालों को पूर्ण रूप से भरते हुए भारत अपनी जीडीपी को 2.9 ट्रिलियन तक बढ़ा सकता है, यदि महिला कार्यबल सहभागिता दर को सुधार लिया जाए। यह 68 मिलियन अतिरिक्त महिलाओं को फार्म रहित श्रमबल में लाने के बराबर होगा। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ), वर्ष 2012 में भारत में 30 लाख से अधिक बेरोजगार महिलाएं थीं। दक्षता विकास तथा उद्यमवृत्तिशीलता पर राष्ट्रीय नीति 2015, प्रशिक्षण को लैंगिक मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक वाहन के रूप में कौशल विकास के परिदृश्यों का वर्णन करती है। इन अंतरालों को भरने की दृष्टि से, यह नीति क्रियाशील प्रशिक्षण इकाइयों, आवश्यकता आधारित स्थानीय प्रशिक्षण सहित लचीले अपराह्न बैचों जैसी विशिष्ट वितरण क्रिया पद्धतियों की जरूरत की पहचान करती है।

2. महिला आर्थिक सशक्तिकरण, एक चुनौती

महिलाएं, जो पिछड़ गईं हैं, को प्रचलित आर्थिक विकास के लाभ आसानी से प्राप्त नहीं होते है। भारत को रोजगार क्रांति की आवश्यकता है जो आधुनिक भारतीय अर्थ-व्यवस्था में उनकी पूर्ण भूमिका के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित करेगी। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के पैमाणीकरण के लिए नवप्रवर्तक अभिगमों तथा सहभागियों की आवश्यकता है। महिलाएं विश्वभर के कार्यों का 66% कार्य करती हैं तथा खाद्य सामग्री का 50% का उत्पादन करती हैं, फिर भी आय का केवल 10% ही कमा पाती हैं तथा सम्पत्ति के 3% की स्वामी होती हैं। चुनौती

यह है कि दूरस्थ महिलाओं तक पहुंच बनाई जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन महिलाओं की आर्थिक वृद्धि तथा व्यापार के लाभों और अवसरों तक पहुंच बन सके। सैटेलाइट केंद्र महिलाओं को उनके घरों के नजदीक ही दक्ष बनाने में मदद कर सकेगें तथा अंतत: वे आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएंगी।

3. कौशल सैटेलाइट केंद्र

डीएसआईआर का मुख्य लक्ष्य ज्ञान तथा कौशल प्रदान करते हुए महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए कौशल सैटेलाइट केंद्रों की स्थापना करना है। महिलाएं तभी उन्नति करती हैं जब उनका समुदाय घर के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्रों, दोनों, में महिलाओं के कार्यों का वास्तव में सम्मान करता है तथा इसलिए, डीएसआईआर की यह शुरूआत लैंगिक समानता के प्रति कार्य करने तथा विकास के सभी स्तरों पर महिलाओं के कार्यों को दर्शाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीएसआईआर महिलाओं के ग्रामीण/जनजातीय अथवा अन्य जरूरतमंद समूहों के बिल्कुल समीप ''कौशल सैटेलाइट केंद्रों'' को स्थापित करने के लिए प्रस्तावों को सहयोग प्रदान करेगा। जो महिलाओं के लिए, विभिन्न अन्य संगठनों द्वारा स्थापित, सामान्य व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों से भिन्न होंगे। कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त सैटेलाइट केंद्रों में नामांकित सभी महिलाएं एक लघु अवधि के साक्षरता पाठ्यक्रम से रूबरू होंगी। विशिष्ट तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता तथा उपक्रम विकास दर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षण के पूर्ण होने के पश्चात, वे न केवल वित्तीय रूप से स्वतंत्र हैं बल्कि अधिक प्रभावकारिता से सामाजिक चुनौतियों का सामना भी कर सकेंगी। इस कार्यक्रम से स्थानीय महिलाओं को महत्वपूर्ण रूप से अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलने की संभावना है।

3.1 कौशल सैटेलाइट केंद्रों के लाभ

- समुदाय में प्रचिलित परिवहन समस्या की देखभाल तथा आने जाने का समय बचाना।
- सुविधाजनक शिक्षण समय क्योंकि ग्रामीण भारत में महिलाओं के पास पढ़ने के साथ-साथ अन्य घरेलू कार्यों की जिम्मेदारियों के लिए बहुत सीमित समय उपलब्ध होता है। डीएसआईआर सैटेलाइट केंद्र उनकी सुविधा तथा समय की उपलब्धता के अनुसार ऐसे कार्यक्रमों में उन्हें भाग लेने की अनुमति प्रदान करेगा।
- अधिक लाभार्थियों का पोषण।
- माता-पिताओं, पति-पत्नियों, बच्चों को सुरक्षा का आश्वासन।

3.2 कौशाल सैटेलाइट केंद्रों के उद्देश्य

- महिलाओं को व्यावसायिक कौशल उपलब्ध कराना जिससे महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो सके तथा अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने में समर्थ होने के साथ-साथ समाज ने अपने आत्मसम्मान में बढ़ोतरी कर सकें।
- सक्षमताएं तथा कौशल उपलब्ध कराना जिससे महिलाएं स्वयं रोजगार/उद्यमी बनने में समर्थ हो सकें।
- महिलाओं अथवा महिलाओं के समूहों (सेल्फ हैल्प ग्रुप मोड) को रोजगार अथवा अपनी आय सृजन कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए समर्थ बनाना।
- उन्हें नए कौशल सिखाने में मदद करना जो उनकी प्रभावकारिता तथा उत्पादकता को उन्नत करेगा।
- व्यवहार्य समूहों में महिलाओं को प्रयोग करना तथा ऋण तक पहुंच, उत्पादक संपत्तियों के अधिग्रहण इत्यादि जैसी सुविधाएं प्रदान करना।

3.3 कौशल सैटेलाइट केंद्रों द्वारा सहयोग

- अन्य उपकरणों तथा संशाधनों के माध्यम से सुविधा संपन्न प्रशिक्षण।
- प्रशिक्षित प्रशिक्षु जो महिला उद्यमियों को व्यापार चुनौतियों का सामना करने में मदद करेंगे।
- शैक्षिक कार्यक्रमों, वित्त तथा विपणन तक पहुंच के लिए त्वरित रणनीतियों, नवप्रवर्तन तथा पदचाप तकनीकों के माध्यम से सक्षमता निर्माण।
- उत्पादकता बढ़ाने तथा कड़ी मजदूरी को घटाने के लिए प्रौद्योगिकी का कैसे प्रयोग किया जाए पर शैक्षिक कार्यक्रम।
- व्यापार मॉडल विकसित करने के लिए अवसर।
- क्षेत्र विशिष्ट प्रभावन।
- नेटवर्किंग अवसर।

4. संभावित क्षेत्र

क्र.सं.	क्षेत्र	सुझाव दिए गए व्यवसाय
1.	कुम्हार कर्म	टेराकोटा मृत्तिका वस्तुओं का

		उत्पादन
2.	स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई	कम लागत के सैनेट्री नैपकिनों के उत्पादन के लिए लघु इकाई
3.	रेशम कीट पालन	शहतूत की खेती, कोकून पालन, रेशम धागा निकालना
4.	खाद्य प्रसंस्करण तथा पोषण	मूल्य वर्धित कृषि उत्पाद, पैकिट बंद खाद्य सामग्री, बेक्री सामग्री
5.	कृषि प्रसंस्करण	ऊतक संवर्धन, स्टिविया कृषि
6.	समुद्र संबंधी उत्पाद प्रसंस्करण	मछली, मोती उत्पादन
7.	हथकरघा	हस्त निर्मित घरेलू सज्जा वस्तुएं, हस्त निर्मित कागज इत्यादि
8.	कपड़ा	खादी, ब्लॉक प्रिंटिंग इत्यादि

5. लक्षित समूह

इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं को कौशल उद्देश्यों के लिए लाभ पहुंचाना है जो 18 वर्ष और उससे अधिक आयु समूह की है।

6. योग्य/पात्र संगठन

एक अलग वैधानिक अस्तित्व रखने वाले निम्नलिखित संगठनों को अनुदान दिया जाएगा:

- भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1982 या सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति या अन्य अधिनियमों या विशिष्ट अधिनियम के अंतर्गत स्वायत्त संस्थानों के रूप में संस्थापित संस्थान या संगठन।
- स्वैच्छिक संगठन या गैर-सरकारी संगठन जो सरकार की कल्याण कारी योजनाओं और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के कार्य में लगे हुए है।
- शैक्षणिक और अन्य संस्थान
- शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संस्थान।
- सहकारी समितियां।

संगठन को कम से कम 3 वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए और रोजगार और उद्यमता से संबंधित कौशल प्रदान करने के लिए गतिविधियां चलाने का अनुभव आवश्यक रूप से होना चाहिए।

7. अवधि

कौशल सैटेलाइट केंद्र के लिए एक विशेष प्रस्ताव प्रारंभिक रूप से पोस्ट-ट्रेनिंग गतिविधि मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय सहित 36 महीने की अधिकतम अवधि के लिए तैयार किया जा सकता है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/मॉड्यूल सामान्यता तीन माह की अवधि व विशेष मामलों में एक पाठ्यक्रम के लिए अधिकतम अवधि 6 माह होगी। प्रारंभिक अवधि की समाप्ति पर निरंतरता के प्रस्ताव को आउटपुट/परिणाम रिपोर्ट और आवश्यक औचित्य के साथ विचार के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

8. वित्त-पोषण के मानदंड

वित्तीय सहायता निम्नलिखित के अधीन होगी:

- प्रतिदिन 6 घंटे के प्रशिक्षण समय के साथ, यात्रा, लंच के लिए ब्रेक को छोड़कर अर्थात कम से कम 432 घंटे और 864 घंटे क्रमश: 3 और 6 माह के पाठ्यक्रम के लिए प्रति सप्ताह 6 दिनों के लिए होनी आपेक्षित है। ध्यान व्यक्तिगत प्रशिक्षण पर होना चाहिए न कि मूल्यांकन या प्रमाणीकरण पर। 100 से 150 महिलाओं को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण के दौरान जलपान उपलब्ध कराने की लागत 75 रूपये प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी से अधिक नहीं हो सकती।
- परियोजना लागत में शीर्ष जैसेकि लाभार्थियों का एकत्रित करना, पाठ्यक्रम तैयार करना, उपकरण, कच्चा माल और शिक्षण यंत्रों को सम्मलित किया जा सकता है। उपकरण की अधिग्रहण लागत प्रस्ताव का एक हिस्सा हो सकती है लेकिन डीएसआईआर द्वारा सहायता प्राप्त प्रस्ताव की लागत के 25% से अधिक नहीं हो सकती।
- उपयोग प्रमाण-पत्र और व्यय का विवरण अगले अनुदान को जारी करने के लिए प्रस्ताव करना होगा। संगठन/संस्थान इस आशय का प्रमाण-पत्र जमा करेंगे कि व्यय स्वीकृत अनुदान के अनुरूप किया गया है।

- कौशल सैटेलाइट केंद्रों में नियोजित व्यक्तियों को संगठन/संस्थान का कर्मचारी माना जाएगा न कि भारत सरकार का तथा उनकी सेवा की शर्तें ऐसे व्यक्तियों के लिए लागू संगठन के नियमों और आदेशों के अनुरूप शासित होगी।
- डीएसआईआर, कौशल सैटेलाइट केंद्रों के लिए भूमि या भवनो पर किसी भी पूंजीगत व्यय का वित्तपोषण नहीं करेगा।
- कौशल सैटेलाइट केंद्र की अवधि पूरी होने पर संगठन/संस्थान अनुदान के लिए सहयाक दस्तावेजों जैसे फोटोग्राफ और उपयोग प्रमाण-पत्र के साथ अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
- आवेदक संगठन प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद अपने दिए गए पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षुओं को प्रमाण-पत्र जारी करेंगे।
- आवेदक संगठन दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।
- डीएसआईआर द्वारा जारी अनुदान की शेष राशि को डीएसआईआर को वापिस करनी होगी।
- लक्ष्यों डिलीवरेबल्स से संबंधित संगठन में असंतोषजनक निष्पादन/ गैर-निष्पदन से डीएसआईआर को अर्जित ब्याज सहित जारी अनुदान सहायता की वापसी करनी होगी।
- डीएसआईआर का कौशल सैटेलाइट केंद्र को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यदि यह पाया जाता है कि इसका कार्यान्वयन असंतोषजनक या अनुपयुक्त है।

9. आवेदक संगठन द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें

कौशल सैटेलाइट केंद्र के लिए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय आवेदन करने वाले संगठन को आवेदन के साथ निम्नलिखित रिपोर्टें प्रस्तुत करे:

- उस क्षेत्र की आधारभूत सर्वेक्षण रिपोर्ट जहां कौशल सैटेलाइट केंद्र को स्थापित किया जाना है।
- कौशल सैटेलाइट केंद्र का लागत लाभ विश्लेषण।
- लक्षित महिला समूह जो कौशल सैटेलाइट केंद्र से लाभान्वित होंगे।
- कौशल प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम का विवरण।
- संभावित व्यापार उद्यम जिन्हें कौशल सैटेलाइट केंद्र बढ़ावा देंगे।
- कौशल सैटेलाइट केंद्र को वहनीय बनाने के लिए संभावित व्यापार मॉडल।
- कौशल सैटेलाइट केंद्र के लिए एक निर्धारित जगह दर्शाता हुआ लेआउट मैप उपलब्ध कराए।

10. दिशा निर्देश और आवेदन का प्रारूप

दिशा निर्देशों और आवेदन प्रारूप के लिए यहाँ क्लिक करें।

किसी अन्य विवरण के लिए आप सम्पर्क कर सकते हैं:

डॉ सुजाता चकलानोबिस
वैज्ञानिक 'एफ'
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन, नया महरौली मार्ग
नई दिल्ली - 110016

दूरभाष : 011-26520887, 26590277
फैक्स : 011 - 26520887
ई-मेल : priya{at}nic{dot}in

प्रारूप – ए

अग्रेषण पत्र

सेवा में

दिनांक:

श्री अश्वनी गुप्ता
वैज्ञानिक जी एवं अध्यक्ष (ए2के+)
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
टेक्नोलॉजी भवन
न्यू महरौली रोड़
नई दिल्ली- 110 016

विषय: ---------- **उपक्रम के लिए प्रस्ताव**

महोदय/महोदया,

मुझे एतदद्वारा ----------रूपए (----------रूपए मात्र) की कुल लागत के लिए आश्वासन प्रस्ताव अग्रेषित करते हुए हर्ष हो रहा है। इस प्रस्ताव की ----------माह की अवधि तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। श्रीमान/सुश्री/डा.----------जो इस संस्थान में----------के रूप में कार्य कर रहे हैं, परियोजना निदेशक/प्रधान जांचकर्ता होंगे।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि यह संस्थान निम्न प्रकार से इस परियोजना को पूरा करने के लिए सभी सुविधाएं तथा अवसंरचनाएँ उपलब्ध कराएगा:

क) यह प्रस्ताव अथवा इसी तरह के अन्य प्रस्ताव को किसी अन्य एजेंसी/विभाग को सौंपा नहीं जाएगा। यह प्रस्ताव---------- लाख रूपए के आंशिक निधीयन के लिए----------को भी सौंपा गया है।

ख) परियोजना निदेशक/प्रधान जांचकर्ता परियोजना के समाप्त होने तक इस संस्थान में कार्य करना जारी रखेंगे। यदि परियोजना निदेशक/प्रधान जांचकर्ता परियोजना पूर्ण किए बगैर छोड़कर जाता है, तो संस्थान तत्काल उपयुक्त परियोजना निदेशक/प्रधान जांचकर्ता का सुझाव देगा तथा टीडीयूपीडब्ल्यू समर्थित परियोजना के लिए उसे नए परियोजना निदेशक/प्रधान जांचकर्ता के रूप में नियुक्त करने के लिए डीएसआईआर की अनुमति प्राप्त करेगा। संस्थान विद्यमान नियम एवं शर्तों के अनुसार परियोजना पूर्ण करने की पूरी जिम्मेदारी वहन करेगा।

ग) संस्थान परियोजना की प्रगति की जांच, प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि भेजने तथा उपयुक्त और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी वहन करेगा।

3. यह अनुरोध है कि ----------रूपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए परियोजना प्रस्ताव पर अनुकूल दृष्टि से विचार करें।

4. संलग्न दस्तावेजों का ब्यौरा दी गई जांच सूची में दिया गया है।

संस्थान के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
संस्थान के अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

प्रारूप - बी

जांचकर्ताओं से लिया जाने वाला प्रमाण पत्र

परियोजना शीर्षक : ----------
---------- ----------

1. मैंने/हमने वित्तीय सहायता के लिए परियोजना प्रस्ताव को कहीं ओर प्रस्तुत नहीं किया।

2. मैंने/हमने यह खोज तथा सुनिश्चित किया है कि उपकरण तथा सुविधाएं (जैसाकि खण्ड----------में बताया गया है) परियोजना के उद्देश्य के लिए, जब भी आवश्यकता हो, आधार पर वास्तव में उपलब्ध होंगी। मैं/हम इन मदों के रख-रखाव के लिए, परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग का अनुरोध नहीं करूंगा/करेंगे।

दिनांक : ----------

स्थान: ----------

जांचकर्ता के नाम तथा हस्ताक्षर

प्रारूप सी

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास और समुपयोजन
कार्यक्रम (टीडीयूपीडब्ल्यू) के अंतर्गत कौशल सैटेलाइट केंद्र
प्रोजेक्टो को प्रस्तुत करने के लिए प्रारूप

कार्यालीन उपयोग हेतु परियोजना कोड प्राप्ति की तारीख द्वारा प्राप्त टीएसी नं0 एवं दिनांक निर्णय

भाग 1: सामान्य सूचना और तकनीकी विवरण

1	परियोजना का शीर्षक	
2	परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले संस्थान/विश्वविद्यालय/संगठन का नाम एवं पता	
3	संगठन की स्थिति (क्या यह कम्पनी लॉ के अन्तर्गत पंजीकृत एक पंजीबद्ध समिति/ट्रस्ट/कम्पनी है) ओर इसकी गतिविधियों का विवरण (100 शब्दों में)	
4	आवेदन अग्रेषित करने वाले कार्यकारी प्राधिकारी का नाम और पदनाम	
5	संगठन के बैंक एकाउंट नम्बर का विवरण (कृपया ईसीएस फार्म भरें) क्या आवेदन के साथ भरा हुआ ईसीएस फार्म संलगन है?	
6	<u>परियोजना अन्वेषक का विवरण</u> नाम पदनाम लिंग जन्म की तारीख पता शहर टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, मोबाईल परियोजना अन्वेषक की विस्तृत पृष्ठभूमि भी संलग्न करें।	

7	<u>सह – परियोजना अन्वेषक का विवरण</u> नाम पदनाम लिंग जन्म की तारीख पता शहर टेलीफोन, फैक्स, ई-मेल, मोबाईल परियोजना अन्वेषक की विस्तृत पृष्ठभूमि भी संलग्न करें।	
8	परियोजना के उद्देश्य	
9	परियोजना के संक्षिप्त विवरण का सारांश (एक पृष्ठ से अधिक न हो)	
10	संवीक्षा की स्थिति (निम्न में से प्रतयेक पर लिखें जो 600 शब्दों से अधिक न हो) विषय में विकास की अन्तरराष्ट्रीय स्थिति, राष्ट्रीय स्थिति, वर्तमान स्थिति के संदर्भ में प्रस्तावित परियोजना का महत्व	
11	अवधि/समय सारणी	
12	प्रारम्भ की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां (कृपया एक पृष्ठ से अधिक न हो)	
13	कार्यप्रणाली	

14. गतिविधि अनुसूची

क्र.सं.	कार्य	गतिविधियॉ	माह												अवधि	किया गया काम

15. पॉच वर्ष की अवधि के दौरान पूर्ण की गई प्रमुख परियोजनाओं का विवरण

परियोजना का शीर्षक

परियोजना अन्वेषक का नाम

एजेन्सी:संस्थान जिनके द्वारा परियोजना समर्थित है

परियोजना की अवधि

परियोजना की लागत

प्रमुख परिणाम

16. वर्तमान सुविधाएं (सुविधाओं की सूची उनकी लागत सहित प्रस्तुत करें)

16.1 परियोजना के लिए प्रयोग होने वाले उपलब्ध उपकरण और सहायक उपस्कर

16.2 संस्थान में परियोजना के लिए प्रयुक्त होने वाले उपलब्ध विशेषज्ञ/जनशक्ति

17. डीएसआईआर की सहायकता समाप्त होने के उपरान्त परियोजना की स्थिरता

18. क्या किसी एजेन्सी द्वारा ठीक वही या समरूप प्रस्ताव पूर्ण या आंशिक सहायता के लिए प्रस्तुत किया गया है? यदि हॉ तो विवरण दें।

19. विषय क्षेत्र के 10 विशेषज्ञों के नाम, पता, टेलीफोन नं0, मोबाईल नं0 और ई-मेल एड्रेस उपलब्ध कराएं।

भाग-।। बजट विवरण

20. विदेशी मुद्रा सहित कुल लागत (रूपए में)

(कृपया निम्न ब्यौरा और प्रत्येक शीर्ष और उप शीर्ष के लिए अलग-अलग औचित्य भी उपलबध कराएं।

20.1 जनशक्ति :

पदनाम	व्यक्तियों की सं0	वांछित वित्तीय सहायता की मात्रा	कुल

20.2 उपभोज्य सामग्री :

उपभोज्य सामग्री का विवरण	वर्षवार मात्रा	कुल राशि (रू0 में)

20.3 यात्रा (वर्षवार ब्यौरा)

उद्देश्य	पहला वर्ष	दूसरी वर्ष	कुल

20.4 उपकरण (उपकरणों का विवरण उनकी लागत सहित प्रस्तुत करें)

20.5 निगरानी ओर संवीक्षा बैठके

20.6 संस्थागत ओवरहेड

21. उपरोक्त कालॅम 20.1 से 20.6 में उल्लिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्षवार ब्यौरा देते हुए सारांश तालिका

नोट : कृपया प्रत्येक शीर्ष और उपशीर्ष के लिए अलग-अलग औचित्य प्रस्तुत करें।

पीआई के हस्ताक्षर

स्थान

नाम

दिनांक

पदनाम